**(Authoritative English text of the Government notification number FDS-A(3)-3/2025, Dated 22-08-2026, Shimla-171002 as required under Clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India)**

**Government of Himachal Pradesh**
**Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs**

No. FDS-A (3)-3/2025 Dated: Shimla-2 the 22nd August , 2026

NOTIFICATION

Whereas the draft Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2026 were published in the Rajpatra (E-Gazette), Himachal Pradesh dated 28.02.2026 as required under sub-section (4) of the section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (Act 1 of 2010) vide this department Notification of even number, dated 23.02.2026 for inviting objection(s) or suggestion (s) from the persons likely to be affected thereby ;

And whereas; 'no objection(s) or suggestion(s)' has been received within stipulated period.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 53 of the Act ibid, Governor Himachal Pradesh after consultation with the Government of India is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2026 :-

**Short title and commencement.**

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the e-Gazette/Rajpatra, Himachal Pradesh.

**Amendment of rule 16.**

2. In rule 16 of the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 after sub-rule(5), the following sub-rule shall be added, namely :-

(6) " In order to ensure accurate verification and delivery of gold and other precious metals to consumers, every retailer engaged in the sale of such commodities shall install and use a non-automatic weighing instrument with verification scale interval (e) of 1 milligram (mg) on the

premises. Such instruments shall be duly verified and stamped in accordance with the provisions of the applicable legal metrology laws and shall be employed for all transactions involving the weighment of gold or precious metals offered for sale to consumers.”

By order,

Priyanka Basu Ingty
Secretary (F,CS&CA) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संख्या: एफ०डी०एस०–ए (3)-3 /2025 तारीख: शिमला-2 22 अगस्त, 2026

**अधिसूचना**

प्रारूप विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2026 इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना संख्या, तारीख 23.02.2026 द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 ( 2010 का अधिनियम संख्यांक 1) की धारा 53 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार इससे संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप/ सुझाव आमंत्रित करने के लिए , राजपत्र (ई-गजट ), हिमाचल प्रदेश, में तारीख 28 फ़रवरी, 2026 को प्रकाशित किये गए थे :

और नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप/ सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अत : हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2026 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन ) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट ), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**नियम 16 का संशोधन**

2. हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन ) नियम, 2011 के नियम 16 के उप-नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(6) उपभोक्ताओं को स्वर्ण एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं का सही सत्यापन तथा परिदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ऐसे सभी फुटकर विक्रेता जो इन वस्तुओं की बिक्री के व्यवसाय में संलग्न हैं , परिसर में 1 मिलीग्राम (एमजी) के सत्यापन पैमाना अन्तराल (ई ) वाले गैर-स्वचालित बाट उपकरण की स्थापना एवं उपयोग करेंगे । ऐसे उपकरणों को लागू विधिक मापविज्ञान विधियों के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से सत्यापित एवं स्टांपित किया जाएगा तथा उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु प्रस्तुत स्वर्ण अथवा अन्य बहुमूल्य धातुओं के बाट से सम्बंधित सभी संव्यवहार में इन्हीं बाट उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।"

आदेश द्वारा

( प्रियंका बासु ईगटी)
सचिव, (खा०ना०आ० एंव उ०मा०)
हिमाचल प्रदेश सरकार